डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मु0 सरस्वती बेवा भम्भल (मृतक)
2. ज्ञानसिंह पुत्र भम्बल (मृतक)
   2/1 कमलेशी पत्नि ज्ञानसिंह
   2/2 विकास पुत्र ज्ञानसिंह
   2/3 मनीष पुत्र ज्ञानसिंह
   2/4 अमरबाई पुत्री ज्ञानसिंह
   2/5 रेणु पुत्री ज्ञानसिंह
3. परसराम पुत्र भम्बल
4. मु0 राजबाई पुत्री भम्बल
5. मु0 रूपबाई पुत्री भम्बल
6. गौरन्ती पुत्री भम्बल
7. अमरचन्द पुत्र सूका (मृतक)
8. गिर्राज पुत्र सूका
9. रामेश्वर पुत्र सूका
10. रत्तीराम पुत्र तुरस्या उर्फ तुलसीराम

समस्त जाति मीना निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. रधुवीर पुत्र दौजी (मृतक)
   1/1 हीरा पुत्र रधुवीर
   1/2 धनसिंह पुत्र रधुवीर
   1/3 लहसनी पुत्री रधुवीर (मृतक)
   1/4 जलपती पुत्री रधुवीर
2. कुन्दन पुत्र दौजी (मृतक)
   2/1 अंगूरी पत्नि कुन्दन
   2/2 हरीचरण पुत्र कुन्दन
   2/3 रामसिंह पुत्र कुन्दन
   2/4 समय पुत्र कुन्दन
   2/5 लोकेश पुत्र कुन्दन
   2/6 मोढी पुत्री कुन्दन
   2/7 रज्जो पुत्री कुन्दन
   2/8 अमरबाई पुत्री कुन्दन
3. हरमुख पुत्र दौजी
4. रामा पुत्र दौजी

   समस्त जाति जाटव निवासीयान शेखुपरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 111/07

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू, सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 887/ 0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 कुल किता 5 कुल रकवा 0.75 है0 मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आराजीयात हजफ की जाती है तथा वादी न0 1 ता 6 को हिस्सा 1/4, वादी न0 7 को हिस्सा 1/4, वादी न0 8 को हिस्सा 1/4, वादी न0 9 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2020 को जारी की गई।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकील नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 111/07 दिनांकः– 22.8.2007

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर. ए. एस.

उनवान

1. मु0 सरस्वती बेवा भम्भल (मृतक)
2. ज्ञानसिंह पुत्र भम्बल (मृतक)
   2/1 कमलेशी पत्नि ज्ञानसिंह
   2/2 विकास पुत्र ज्ञानसिंह
   2/3 मनीष पुत्र ज्ञानसिंह
   2/4 अमरबाई पुत्री ज्ञानसिंह
   2/5 रेणु पुत्री ज्ञानसिंह
3. परसराम पुत्र भम्बल
4. मु0 राजबाई पुत्री भम्बल
5. मु0 रूपबाई पुत्री भम्बल
6. गौरन्ती पुत्री भम्बल
7. अमरचन्द पुत्र सूका (मृतक)
8. गिर्राज पुत्र सूका
9. रामेश्वर पुत्र सूका
10. रत्तीराम पुत्र तुरस्या उर्फ तुलसीराम

समस्त जाति मीना निवासी आखावाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. रधुवीर पुत्र दौजी (मृतक)
   1/1 हीरा पुत्र रधुवीर
   1/2 धनसिंह पुत्र रधुवीर
   1/3 लहसनी पुत्री रधुवीर (मृतक)
   1/4 जलपती पुत्री रधुवीर
2. कुन्दन पुत्र दौजी (मृतक)
   2/1 अंगूरी पत्नि कुन्दन
   2/2 हरीचरण पुत्र कुन्दन
   2/3 रामसिंह पुत्र कुन्दन
   2/4 समय पुत्र कुन्दन
   2/5 लोकेश पुत्र कुन्दन
   2/6 मोढी पुत्री कुन्दन
   2/7 रज्जो पुत्री कुन्दन
   2/8 अमरबाई पुत्री कुन्दन
3. हरमुख पुत्र दौजी
4. रामा पुत्र दौजी

   समस्त जाति जाटव निवासीयान शेखुपरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
5. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)

श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांकः– 28.02.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 887/ 0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32

उपजिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

कुल किता 5 कुल रकवा 0.75 है0 साबिक ख0न0 432 रकवा 3 बीधा 9 बिस्वा से बना है वर्तमान रिकार्ड मे खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम है वादीगण का सजरा निम्न प्रकार है:–

तुलसीराम उर्फ तुरस्या

सूका रत्तिराम

भम्बल अमरचन्द गिर्राज रामेश्वर

सरस्वती ज्ञानसिंह परसराम राजबाई रूपबाई गौरन्ती

वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी व कब्जकाश्त की है जिसे वादीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही पिछले सैकडो साल से आज तक निरन्तर काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से कोई संबध नही है। वादीगण 1 ता 9 के बुजुर्ग तुरस्या उर्फ तुलसीराम व वादी संख्या 10 को प्रतिवादीगण के बुजुर्ग ने सम्वत 2009 से पूर्व काश्त के लिये दे दिया था। सम्वत 2009 के पूर्व से ही वादीगण व वादीगण के बुजुर्ग इस आराजी को बहैसियत मालिक लगातार आज तक काश्त कर रहे है। खसरा गिरदावरी आदि मे भी वादीगण व वादीगण के सूका व वादी स्वंय रत्तीराम पुत्र तुरस्या उर्फ तुलसीराम मीना निवासी आखावाडा के नाम कब्जा काश्त दर्ज है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के लागू होने से पूर्व ही एवं लागू होने के दिनांक से वादीगण इस आराजी पर काबिज है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत कानूनन वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। तथा प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त हो गये है। वादीगण भूमि विवादित की अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है। वादी रत्तीराम ने अपना हिस्सा अपने खास भाई सूका व उसके वारिसान पुत्र, पुत्री, बेवा को सम्वत 2030 मे दे दिया है।

इसी विवादित भूमि के संबध मे पूर्व मे प्रतिवादीगण के स्व0 पिता दौजी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के यहॉ वादपत्र संख्या 469/92 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के खिलाफ पेश किया था जो दिनांक 22.1.1999 को खारिज हो चुका है इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के यहा पेश हुई थी। वह भी दिनांक 6.2.2001 को खारिज हो चुकी है। पुनः अपील राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे हुई थी, वह भी दिनांक 9.3.2005 को खारिज हो चुकी है। तथा निर्णय उप जिला कलक्टर हिण्डौन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का बहाल रखा गया है। वादीगण के बुजुर्ग सूका के नाम तहसील टोडाभीम से दिनांक 13.1.1971 को इस भूमि की खातेदारी के अधिकार भी हो गये, लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हुआ। प्रतिवादीगण के पिता दौजी ने रिसीवर का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 20.7.1977 को खारिज हो चुका है। राजस्व मंडल अजमेर मे अपने निर्णय के पैरा न0 11 मे यह माना है कि वादीगण भूमि विवादित को सम्वत 2009 से आज तक लगातार काबिज है। वादीगण का कब्जा शांति पूर्वक चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से तथा उसके बाद भी लगातार कब्जा होना प्रमाणित है अतः विधिक रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत वादीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम है तथा प्रतिवादीगण इस भूमि के खातेदार नही रहे है।

वादीगण ग्रामीण अशिक्षित व्यक्ति है। इसलिये भूमि की खातेदारी अपने नाम नही करा पाये थे एवं प्रतिवादीगण के नाम ही खातेदारी चली आ रही है। वादीगण दिनांक 18.8.2007 को तहसीलदारजी से मिले और खातेदारी हमारे नाम करने का निवेदन किया। और औलावृष्टि के मुआवजे का भुगतान करने का निवेदन किया। तहसीलदारजी ने खातेदारी के अभाव मे मुआवजे का भुगतान करने से इन्कार किया। इस कारण खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कराने का दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर आराजी ख0न0 ख0न0 887/ 0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 कुल किता 5 कुल रकबा 0.75 है0 ग्राम आखावाडा को वादी न0 1 ता 6 का हिस्सा 1/4, वादी संख्या 7 हिस्सा 1/4, वादी संख्या 8 हिस्सा 1/4, वादी न0 9 का हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को उपरोक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करे। एवं साथ ही वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। तथा किसी दीगर व्यक्ति को रहन व्यय नही करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि वादीगण का यह कहना गलत है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण अपने बुजुर्गान के जमाने से काबिज चले आ रहे है और लगान अदा करते हो। यह कहना भी गलत है कि वादीगण का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से कब्जा हो, और धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हो, बल्कि सही बात यह है कि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की है। जिसका वादीगण व वादीगण के बजुर्गो का कोई संबध नही है। जब वादीगण का कोई संबध नही है तो रत्तीराम का हिस्सा होने का व विक्रय किये जाने का कोई प्रश्न ही नही है। प्रतिवादीगण के स्वर्गीय पिता दौजी व प्रतिवादीगण ने न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जाना व दिनांक 22.1.1999 को खारिज हो जाना एवं इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाना, व अपील दिनांक 6.1.2001 को खारिज होना तथा जिसकी अपील राजस्व मंडल अजमेर मे पेश किया जाना तथा दिनांक 9.3.2005 को खारिज हो जाना स्वीकार किया है। लेकिन दिनांक 9.3.2005 के निर्णय के विरूद्व राजस्व मंडल अजमेर मे पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.2007 को पेश कर दिया है जो विचाराधीन है। वादीगण का यह भी कहना गलत है कि दिनांक 13.1.1971 को विवादित आराजी के खातेदारी आदेश तहसील टोडाभीम से वादीगण के नाम हो गये हो, और सम्वत 2009 से कब्जा चला आ रहा हो, बल्कि सही बात यह है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण का कब्जा ही नही है तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न ही नही होता। दावा खारिज योग्य है। दिनांक 18.08.2007 को किसी भी तरह की बाते वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य नही हुई है। प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है। तथा आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम है जो जाति से जाटव है। तथा वादीगण जाति से मीना है। इसलिये राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की धारा 42 के तहत कानूनन वर्जित है। अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि मुतज्रिका आराजी मद न0 1 हाल ख0न0 887/0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 ग्राम आखावाडा मे स्थित है। पर वादीगण सम्वत 2009 से आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज है। कानूनी तौर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी कराने के अधिकारी है।

(जिम्मेवादीगण)

2. आया यह है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वर्णित भूमि को वादी न0 1 ता 6 हिस्सा 1/4, वादी न0 7 हिस्सा 1/4, वादी न0 8 हिस्सा 1/4, वादी न0 9 हिस्सा 1/4 खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

(जिम्मे वादीगण)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

3. आया यह है कि प्रतिवादी न0 1 ता 4 विवादित आराजीयात मे खातेदार काश्तकार है। वादीगण किसी प्रकार के रिलीफ पाने के अधिकारी नही है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

4. आया यह है कि विवादित जमीन पर दिनांक 9.3.2005 के निर्णय के विरूद्व प्रतिवादीगण ने राजस्व मंडल अजमेर मे पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10. 2007 को पेश किया है। वादीगण का कोई कब्जा नही है। स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के अधिकारी नही है। दावा खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम आखावाडा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–1, नकल डिक्री एवं निर्णय दिनांक 6.2.2001 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी स0मा0 प्रदर्श–2, नकल डिक्री व निर्णय दिनांक 22.1.1999 न्यायायल उप जिला कलक्टर हिण्डौन प्रदर्श–3, नकल फर्द मौका दिनांक 17.1.1999 प्रदर्श–4, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 9.3.2005 न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर प्रदर्श–5, शपथ पत्र वादी रामेश्वर पी.डबल्यू–1, शपथ पत्र वादी अमरचन्द पी.डबल्यू–2, शपथ पत्र वादी गिर्राज पी. डबल्यू–3, शपथ पत्र वादी ज्ञानसिंह पी.डबल्यू–4, प्रस्तुत किये है। वादीगण से प्रतिवादीगण ने जिरह पूर्ण की। प्रतिवादी वकील ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–61, नकल जमाबन्दी सम्वत 2053–56, न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर की रिव्यू पिटिशन पेश करने की प्रति पेश की है। किन्तु प्रतिवादीगण वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत नही कराये गये है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0 दी0 पेश किया। प्रतिवादी वकील ने इस प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नही कर सीधे ही बहस करने का कथन किया। वादी वकील ने मौखिक बहस एवं लिखित बहस एवं अतिरिक्त लिखित बहस प्रस्तुत की। पहले प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0दी0 पर बहस सुनी गई ,वादी वकील ने कथन किया कि दावे के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये प्रस्तुत दस्तावेजात नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–12, 2013, 2014 लगायत 17, 2018, 2019, 2031 से 2034, जमाबन्दी सम्वत 2029–32, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2000–2019, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2002–2019, नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 की चार प्रतियॉ, पेश की है। जिन्हे रिकार्ड पर लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जिससे मुकदमे का न्यायोचित निर्णय पारित हो सके। वादी वकील ने समर्थन मे आर.आर.डी 2003 पृष्ठ संख्या 167 एवं आर.आर.डी 2009 पृष्ठ संख्या 149 की नजीरे प्रस्तुत की, यह भी कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित है स्वंय द्वारा तैयार नही किये गये है। अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति एवं अनुसचित जनजाति से अनुसूचित जाति मे भूमि ट्रान्सफर पर रोक दिनांक 1.4.1964 को जारी अधिसूचना से आई है। आराजीयात पर मेरा कब्जा सम्वत 2009 से है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का है। मुझ पर एस.टी. एस. सी रोक प्रभावी नही होती है। वादीगण के बुजुर्ग तुरसी के नाम सम्वत 1984 मे खातेदारी रही है सम्वत 2009 से लगातार कब्जा काश्त का रिकार्ड खसरा गिरदावरी मे दर्ज है। फर्द मौका रिपोर्ट मे भी वादीगण का कब्जा माना गया है। वादी काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था उससे पहले से ही मेरा कब्जा होने से मे खातेदार हूँ। वादीगण के पूर्वजो के नाम विवादित आराजीयात की खातेदारी रही है न जाने किस कारण से इस आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम हो गई है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत अपीले न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर, एवं न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा खारिज की जा चुकी है। वादी न0 10 रत्तीराम ने अपना हिस्सा अपने खास भाई सूका व उसके वारिसान को सम्वत 2033 मे ही दे दिया था बाद मे रत्तीराम लाऔलाद फौत हो गया है। जिसके कानूनी वारिस वादी न0 1 लगायत 9 ही है। इसलिये मेरा दावा डिक्री किया जाकर वादीगण 1 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी वकील ने कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वादी के पास थे तो तब ही प्रस्तुत किये जा सकते थे। सारे दस्तावेज पूर्व के बने हुये है। वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरे वर्तमान मे बने दस्तावेजो पर ही चस्पा होती है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। मूल दावे की बहस पर कथन किया कि वादीगण द्वारा दावा वर्ष 2014 मे पेश किया है। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के तुरन्त बाद पेश किया जाना चाहिये था। दावे मे एडवर्स पजेशन का उल्लेख है जबकि लिखित बहस मे पुस्तैनी बताई गई है। सम्वत

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

1984 मे सूक्ष्म नाम है पुराना ख0न0 302, 303 के बावत लिखित बहस के मद न0 4 मे तुलसी की खातेदारी बताई है। एस सी की जमीन पर एस.टी. काबिज है तो धारा 175 की कार्यवाही होनी चाहिये थी। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नही मिल सकती है। धारा 42 का भी उल्लधन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो मे तुलसी की बल्दीयत एवं जाति नही है। सम्वत 1984 की जमाबन्दी पेश नही की है।

वादी वकील ने जबाबी बहस मे न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र डबल बैच द्वारा दिनांक 31.12.2012 को खारिज करने का नेट से जारी पत्रक प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी कहा कि विवादित आराजीयात पैतृक भूमि है सम्वत 2009 से लगातार वादीगण का कब्जा काश्त है। अपीलीय न्यायालयो ने भी प्रतिवादीगण का कब्जा नही माना है। इनकी ओर से प्रस्तुत दावा व अपीले कब्जे के अभाव मे खारिज हो चुकी है। धारा 42 का प्रावधान वर्ष 1964 से लागू हुआ है जो इस प्रकरण मे लागू नही होता है। अतः वादी का दावा डिक्री फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा0 दी0 पर निर्णय किया जाना है। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया है कि मुकदमे के न्यायोचित निर्णय के लिये दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिया जावे। प्रतिवादी वकील ने यह कथन किया कि यह दस्तावेज दावा पेश करते समय ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। प्रकरण की वर्तमान स्टेज पर शामिल नही किया जा सकता। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी 2003 पृष्ठ संख्या 167 चश्पा होती है कि दस्तातेजो की प्रमाणित प्रतिया प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिये प्रकरण के किसी भी स्टेज पर शामिल किया जाना अनुचित नही है। प्रस्तुत नजीर के परिप्रेक्ष्य मे वादी वकील द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009–12, 2013, 2014 लगायत 17, 2018, 2019, 2031 से 2034, जमाबन्दी सम्वत 2029–32, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2000–2019, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2002–2019, नकल मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 की चार प्रतियॉ, प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिये रिकार्ड पर शामिल किया जाना उचित पाता हूँ।

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

वादी वकील द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं अतिरिक्त लिखित बहस एवं वकील उभयपक्ष की मौखिक बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार है:–

1. आया यह है कि मुतज्रिका आराजी मद न0 1 हाल ख0न0 887/0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 ग्राम आखावाडा मे स्थित है। पर वादीगण सम्वत 2009 से आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज है। कानूनी तौर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत खातेदारी कराने के अधिकारी है। (जिम्मेवादीगण)

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है।

तनकी न0 1:– मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–1 के अनुसार खाता संख्या 144 की आराजी ख0न0 887/0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 कुल किता 5 कुल रकवा 0.87 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 साबिक ख0न0 432मिन. रकवा 3 बीघा 9 बिस्वा से नवीन ख0न0 887/0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 बने है तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2000–2019 के अनुसार ख0न0 432 रकवा 2 बीघा 15 बिस्वा साबिक ख0न0 302/2 रकवा 2 बीघा 15 बिस्वा से तथा ख0न0 432 रकवा 9 बिस्वा साबिक ख0न0 303/1 रकवा 14 बिस्वा से बने है। मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा आखावाडा सम्वत 1984 के खाता संख्या 35 मे ख0न0 302 रकवा 5 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 303 रकवा 3 बीघा 4 बिस्वा के खातेदारी कालम मे सुखचन्द मु.खा. न0 34 व तुलसी मु.खा. न0 16 दर्ज है। मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा आखावाडा सम्वत 1984 के खतौनी नम्बर 16 के खातेदारी कालम मे तुलसी बल्द पासा कौम मीना सा.देह दर्ज है। उक्त रिकार्ड से वादीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी दर्ज होना साबित है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 के ख0न0 432 रकवा 3 बीघा 9 बिस्वा मे भूमि धारक के रूप मे सुखचन्द, रत्तीराम, सम्वत 2010 मे सुखचन्द व तुलसी सम्वत 2012 मे सूका वल्द तुलसी मीना, सम्वत 2013 मे लटूर

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

बल्द तुलसीराम, रत्तीराम, सुखराम पि0 तुलसीराम, सम्वत 2018 मे रत्तीराम व सुका, सम्वत 2031 मे सूका पुत्र तुलसीराम, सम्वत 2033 मे सूका पुत्र तुलसीराम , के नाम दर्ज है। उक्त खसरा गिरदावरी मे अंकन के अनुसार कब्जा काश्त वादीगण एवं इनके बुजुर्गो का रहा है। न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के मु0न0 469/92 उनवानी दौजी बनाम सूका वगै0 मे डिक्री व निर्णय दिनांक 22.1.1999 प्रदर्श–3 के अनुसार प्रतिवादीगण का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा कब्जे के अभाव मे खारिज किया गया है। इस निर्णय के विरूद्व की गई प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के डिक्री व निर्णय दिनांक 6.2.2001 प्रदर्श–2 के अनुसार उप जिला कलक्टर हिण्डौन के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.1.1999 को यथावत रखते हुये रिकार्ड से सिद्व नही होने के कारण अपील खारिज की गई है। इस निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत की गई अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 9.3.2005 प्रदर्श– 5 के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा सिद्व नही होने के कारण धारा 188 के तहत रिलीफ की पात्रता नही पाते हुये खारिज की गई। प्रतिवादी वकील ने दौराने बहस यह कहा था कि राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय के विरूद्व डबल बैच मे पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस बावत वादी वकील ने दौराने बहस राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की बेवसाईट से वर्तमान स्टेटस निकलवाकर पेश किया है कि रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2012 को खारिज हो चुका है। अर्थात प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा साबित नही माना है। न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा न0 24/80, 469/92 दावा के संदर्भ मे पत्रावली मे शामिल वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे तैयार फर्द मौका दिनांक 17.1.1999 प्रदर्श–4 के अनुसार ख0न0 887 रकवा 0.12 है0 मे अमरचन्द पुत्र सूका जाति मीना निवासी आखावाडा की सरसो की फसल ख0न0 890/0.12 है0 रकवा मे रामस्वरूप पुत्र सूका की सरसो की फसल ख0न0 894/0.28 मे भम्बल पुत्र सूका की गेहू की फसल ख0न0 902 रकवा 0.32 मे गिर्राज पुत्र सूका मीना की गेहू की फसल बोना बताया है। ख0न0 893/0.03 गै0मु0चाह अमरचन्द, भम्बल, गिर्राज ,रामेश्वर पि0 सूका की होना बताया है उक्त ख0न0 वर्तमान मे दौजी पुत्र रंगली जाति जाटव निवासी शेखपुरा की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। मौके पर वादीगण ने यह बताया कि इस भूमि को करीब 25–30 साल से मीनागण प्रतिवादी ही जोत बो रहे है एवं इन्ही का कब्जा है। तथा प्रतिवादीगणो द्वारा यह बताया गया कि इस भूमि को पुश्तैनी रूप से लगभग 50 वर्ष पूर्व से बोते आ रहे है। मौके पर बनाया गया पक्का कुआ मीनागणो द्वारा सूका पुत्र तुलसीराम मीना द्वारा सम्वत 2020 मे बनाया गया है। पर्चा मौका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण व ग्रामवासीयान के हस्ताक्षर हो रहे है इस फर्द मौका के अनुसार इस मुकदमे के प्रतिवादीगणो ने यह स्वीकार किया है कि भूमि पर मीणा जाति के व्यक्ति ही जोतते बोते आ रहे है। अर्थात प्रतिवादीगणो का कब्जा काश्त नही है और वादीगण ही काबिज काश्त है। दौराने जिरह वादी रामेश्वर पी. डब्ल्यू–1 का कथन रहा है कि यह आराजी हमारे बुजुर्गो की थी गलती से प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के नाम हो गई विवादित जमीन पर सम्वत 2009 से पहले से ही हमारा कब्जा है। इस जमीन का एक ही चक बना हुआ है। वादी अमरचन्द पी.डब्ल्यू 2 ने जिरह मे विवादित जमीन बाबा तुलसी के नाम होना एवं वादीगणो का कब्जा होना बताया है। इन सब तथ्यो एवं विवेचन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजीयात पूर्व मे वादीगण के बजुर्गान के नाम खातेदार रही है। तथा कब्जा काश्त भी वादीगण का सम्वत 2009 से चला आ रहा है। जहॉ तक प्रश्न राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानो का है यह प्रावधान दिनांक 1.4.1964 से प्रभावी है वादीगण का सम्वत 2009 से लगातार मुताबिक रिकार्ड कब्जा काश्त साबित है वादी वकील द्वारा प्रस्तुत आर.आर.डी 2009 के पृष्ठ संख्या 149 की प्रस्तुत नजीर के अनुसार एस.टी. एस सी से भिन्न जाति के व्यक्तियो को स्थानांतरित भूमि बावत धारा 42 के प्रावधान वर्ष 1964 के पश्चातवर्ती है। इससे पूर्व के हस्तानांतरित भूमि के संबध मे यह प्रावधान लागू नही होते है। यह नजीर इस प्रकरण मे चश्पा होती है और धारा 42 का उल्लधन इस मुकदमे मे लागू नही होते है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन करने पर यह भी पाया कि मिसल हकीयत सम्वत 1984 मे वर्णित ख0न0 302 व 303 की खातेदारी वादीगण के पूर्वजो के नाम रही है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक आराजी रही है। दौराने बहस वादी वकील ने यह भी कथन किया कि वादी न0 10 रत्तीराम ने सम्वत 2030 मे ही अपना हिस्सा खास भाई सूका व उसके वारिसान को दे दिया था बाद मे रत्तीराम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

लाऔलाद फौत होने की जानकारी दी। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

2. आया यह है कि वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वर्णित भूमि को वादी न0 1 ता 6 हिस्सा 1/4, वादी न0 7 हिस्सा 1/4, वादी न0 8 हिस्सा 1/4, वादी न0 9 हिस्सा 1/4 खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।
इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है

तनकी न0 2:– तनकी न0 1 मे किये गये विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीगण 1 लगायत 6 हिस्सा 1/4, वादी न0 7 हिस्सा 1/4, वादी न0 8 हिस्सा 1/4, वादी न0 9 हिस्सा 1/4 की खातेदारी घोषित कराने के हकदार होते है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार होने से यह तनकी वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

3. आया यह है कि प्रतिवादी न0 1 ता 4 विवादित आराजीयात मे खातेदार काश्तकार है। वादीगण किसी प्रकार के रिलीफ पाने के अधिकारी नही है।
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है

तनकी न0 3:– तनकी न0 1 मे किये गये विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण 1 ता 4 का कब्जा काश्त साबित नही है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

4. आया यह है कि विवादित जमीन पर दिनांक 9.3.2005 के निर्णय के विरूद्व प्रतिवादीगण ने राजस्व मंडल अजमेर मे पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.2007 को पेश किया है। वादीगण का कोई कब्जा नही है। स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी नही है। दावा खारिज योग्य है।
इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर है

तनकी न0 4:– प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.3.2005 के फैसले के विरूद्व पुनरावलोकन का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.10.2007 को पेश किया है यह प्रार्थना पत्र राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 31.12.2012 को खारिज किया जा चुका है। विवादित आराजीयात पर कब्जे के संबध मे तनकी न0 1 मे विस्तृत विवेचन होकर वादीगण का कब्जा साबित पाया गया है। वादीगण का कब्जा होने से वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के हकदार होते है। अतः यह तनकी खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।
तनकी वार निर्णय के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री योग्य होने से डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

ग्राम आखावाडा की आराजी ख0न0 887/ 0.12, 890/0.12, 893/0.03, 894/0.28, 902/0.32 कुल किता 5 कुल रकवा 0.75 है0 मे प्रतिवादीगण के नाम दर्ज आराजीयात हजफ की जाती है तथा वादी न0 1 ता 6 को हिस्सा 1/4, वादी न0 7 को हिस्सा 1/4, वादी न0 8 को हिस्सा 1/4, वादी न0 9 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 14:55:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: